न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप... पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–अ12/2017 रे0 वाद
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. ईस्माईल पिता शाहबुदीन मुसलमान
2. फकीर मोहम्मद पिता कासम मुसलमान सर्व निवासी कोशीथल तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा ।

वादीगण

बनाम

1. सलीम मोहम्मद पिता फतेह मोहम्मद मुसलमान निवासी कोशीथल तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतिवादीगण

दिनांक :–08.08.2017

–:निर्णय :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1983 रकबा 0.16 हे0, 2012 रकबा 0.22 हे0, 2013 रकबा 0.22 हे0, कुल किता 03 रकबा 0.60 हे0, दर्ज रेकार्ड है । जिसमें वादी संख्या 01 का 1/3, वादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा निहित है । वादीगण संख्या 01 लगायत 02 एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से भूमि को उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है । उक्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का अपने हिस्से एवं कब्जे अनुसार हिस्सा विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खातें कायम करवाया जाए । प्रकरण विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 को तलब किया गया । वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादीगण संख्या 01 उपस्थित होकर आपसी सहमति के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का खाता कब्जे व हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

प्रकरण का विधिवत विचारण किया जाकर वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया और तहसीलदार सहाड़ा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आरेश प्रदान किया गया तहसीलदार सहाड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण व प्रतिवादीगण को सुना गया विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं कि लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी उचित एवं न्याय हित में है ।

–:आदेश:–

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिकी किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारो में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1. सलीम मोहम्मद पिता फतेह मोहम्मद छीपा मुसलमान सा. देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
1983	0.1600
2012/1	0.1950
कुल रकबा	0.3550 हे0

क्रमशः..

2. फकीर मोहम्मद पिता कासम छीपा मुसलमान सा. देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
	0.0250
2012/2	0.22
2013	

कुल किता 02 **कुल रकबा** **0.2450 हे0**

नोट :– प्रस्ताव, बट्वारा के अनुसार ईसमाईल को ग्राम अरनोटा में खाता संख्या 72 में भूमि दी गई है तथा फकीर मोहम्मद को 0.11 हे0, भूमि ग्राम कोशीथल के खाता संख्या 44 में दी गई है ।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। अंतिम डिकी जारी हो आदेश आज दिनांक 08.08.2017 को सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)